

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
(भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-77

निविदा प्रलेख

निविदा संख्या-एन.आई.एम.आर.2/23/2016-17/स्टोर

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 23-09-2016 समय 2:30 बजे अपराह्न

विषय सूची:-

- | | |
|---|---------------|
| 1. निविदा सूचना | |
| 2. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश | |
| 3. सामान्य नियम एवं शर्तें | |
| 4. स्वदेशी प्रस्तावों के लिए नियम एवं शर्तें | |
| 5. आयातित प्रस्तावों के लिए नियम एवं शर्तें | |
| 6. तकनीकी वैशिष्ट्यकरण | परिशिष्ट-'ए' |
| 7. तकनीकी वैशिष्ट्यकरण के अनुपालन हेतु प्रारूप | परिशिष्ट-'बी' |
| 8. विचलन विवरणी प्रारूप | परिशिष्ट-'सी' |
| 9. मूल्य बोली का भाग | परिशिष्ट-'डी' |
| 10. बिक्री सेवा उपरान्त समर्थक विवरण | परिशिष्ट-'ई' |
| 11. वारंटी प्रमाणपत्र | परिशिष्ट-'एफ' |
| 12. बोली प्रतिभूति राशि/बयाना-राशि जमा फार्म | परिशिष्ट-'जी' |
| 13. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच सूची | परिशिष्ट-'एच' |
| 14. उपयोगकर्ताओं की सूची - संलग्नक -आई | परिशिष्ट-'आई' |
| 15. बैंक गारन्टी निष्पादन प्रारूप | परिशिष्ट-'जे' |
| 16. वचन बद्धता पत्र | परिशिष्ट-'के' |

निविदा शुल्क प्रत्येक मद के लिए रूपये 500/-

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
(भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-77

निविदा सूचना

**निविदा संख्या-एन.आई.एम.आर/2/23/2016-17/स्टोर
प्रयोगशाला के उपकरणों की आपूर्ति हेतु**

निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला के उपकरणों की आपूर्ति हेतु द्विबोली व्यवस्था के अंतर्गत मूल निर्माताओं (मुख्य कम्पनी) अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों से मुहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज भंडार अनुभाग, कमरा नं- 405 , राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान,सैक्टर-8 द्वारका, नई दिल्ली-110 077 से राशि 500 रुपये के बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान अनुरोध पत्र के साथ जमा करने पर दिनांक 26-08-2016 से 22-09-2016 तक पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 23-09-2016 को अपरान्ह 2.30 बजे तक है।

विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की www.nimr.org.in वेबसाइट या केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल <http://eprocure.gov.in/cppp> देखें।

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान
(भारतीय आयुर्वेदानुसंधान परिषद)
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-77

निवदा संख्या 2/23/2016-17/भंडार
प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए निवदा

1. निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (भारतीय आयुर्वेदानुसंधान परिषद), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग प्रयोगशाला उपकरणों और दो बोली प्रणाली में उपकरणों की व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संवदा के लिए मुहरबंद निवदा आमंत्रित करती है। निवदाएं (तकनीकी) बोलीदाताओं की उपस्थिति में **23-09-2016** को अपराह्न 3 बजे खोली जाएंगी।
- क) तकनीकी बोली: परिशुद्ध 'ए' में अपेक्षित वनिर्देशों के अनुसार तकनीकी बोली वस्तुतः वनिर्देशों और वस्तुतः तकनीकी प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्माता के मूल डेटाशीट के साथ मुहरबंद लफाफे में बयाना राश और निवदा शुल्क व शुरुआतों के समर्थन में अलग-अलग प्रस्तुत होने चाहिए।
- ख) मूल्य बोली: निम्न लिखित उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन अतिरिक्त वारंटी/वार्षिक अनुरक्षण संवदा तथा कमीशनिंग आदि हेतु मूल्य बोली इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	उपस्कर का नाम	अपेक्षित मात्रा	निवदा शुल्क (रुपये)	बयाना राश (रुपये)
1	Binocular Upright Compound Microscope	Three	500.00	9000.00
2	Biosafety Cabinet Class II A2	One	500.00	4000.00
3	Data Logger	Six	500.00	3000.00
4	Deep Freezer -20°C	Six	500.00	10000.00
5	Deep Freezer -80°C	One	500.00	10000.00
6	GPS Device	Six	500.00	3000.00
7	Gel Documentation System	Two	500.00	20000.00
8	Hemoglobin Meter	Five	500.00	5000.00
9	Horizontal Gel Electrophoresis Unit with power pack	Five	500.00	5000.00
10	Ice Flaking Machine	One	500.00	3000.00
11	Nanodrop	Two	500.00	20000.00
12	Realtime PCR with desktop computer	One	500.00	30000.00
13	Refrigerated Centrifuge	Two	500.00	8000.00
14	Single Channel Micropipette, variable volume (Set of 4)	8 Sets	500.00	10000.00
15	Thermal Cycler (Temperature Gradient)	Four	500.00	30000.00
16	Turbidimeter	One	500.00	1500.00
17	Visible/ UV	One	500.00	4000.00

	Spectrophotometer single beam			
18	Spectrofluorometer	One	500.00	10000.00
19	Fluorescence Spectrophotometer	One	500.00	25000.00
20	Stainless Steel Rabbit Cage Unit with 3 Cages and 1 Rack	One	500.00	2000.00
21	Microscope with Digital Camera	One	500.00	5000.00

2- वस्तुतः निवदा दस्तावेज (अहस्तान्तरणीय) एनआईएमआर, द्वारका, नई दिल्ली के भंडार अनुभाग से दिनांक 26-08-2016 से 22-09-2016 तक कसी भी कार्य दिवस में (सोमवार से शुक्रवार) प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक रूपये 500/- के बैंक ड्राफ्ट सहित भंडार अनुभाग, कमरा संख्या 405 उपकरण के नाम का स्पष्ट उल्लेख करने संबंधी लखत अनुरोध प्रस्तुत करने पर प्राप्त कए जा सकते हैं। निवदा दस्तावेज एनआईएमआर की वेबसाइट <http://www.nimr.org.in> या e-procure.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कया जा सकता है। प्रत्येक आइटम के लए निवदा दस्तावेज की लागत के रूप में निवदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पक्ष में रु. 500/- के बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करना होगा अन्यथा निवदा पर वचार नहीं कया जाएगा।

निदेशक

3- ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

नि वदा दस्तावेजों के खुलने तथा समापन होने का समय एवं दिनांक	खोलने की दिनांक .26-08-2016 10.00 बजे प्रातः बंद होने की दिनांक 22-09-2016 अपरान्ह 5.00 बजे
नि वदा जमा करने की अन्तिम ति थ और समय	23-09-2016 अपरान्ह 2.30 बजे तक
तकनीकी बो लयां खोलने का समय एवं दिनांक	23-09-2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक
नि वदा दस्तावेज जारी होने तथा जमा करने का पता	निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077 (फोन - 011-25307405, 25307407)
प्रत्येक मद ळपकरण के लए नि वदा प्रलेख का अप्रतिदेय शुल्क	निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली के पक्ष में रू. 500/- का डमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक
नि वदा दस्तावेज इन वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है	http://www.nimr.org.in और केन्द्रीय खरीद पोर्टल http://eprocure.gov.in/cppp दस्तावेज की सीडी अनुरोध पर उपलब्ध हो सकती हैA
बयाना रा श जमा (ई.एम.डी.) (ब्याज मुक्त प्रतिदेय) (तकनीकी बोली के साथ भेजे जाने के लए)	निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली में देय) के नाम डमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा या बैंक द्वारा यथा व ध प्रमाणत , परि शष्ट 'जी' के अनुसार बोली प्रतिभूति/बयाना रा श जमा फार्म द्वारा (एक अलग लफाफे में तकनीकी बोली सहित)

नोट :- वनिर्दिष्ट नि वदा शुल्क, इन्टरनेट से डाउनलोड नि वदा दस्तावेज के साथ होनी चाहिए अन्यथा नि वदा पर वचार नहीं कया जाएगा।

निदेशक
राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, दिल्ली

4. पात्रता मानदंड

- 4.1 मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा भारत में स्थित अपने शाखा कार्यालय अथवा प्राथकृत प्रतिनिध के माध्यम से भारत में बिक्री और सेवा समर्थन की सुवधाओं के साथ प्रदान करनी होगी।
- 4.2 ऐसे भारतीय एजेन्ट जिनकी व्यापक बिक्री के साथ सेवाएं (न्यूनतम 3 वर्ष) भारत में (वशेषकर नई दिल्ली में) हो चुकी हैं। वदेशी प्रमुख मूल उपकरण निर्माता फर्मों/कम्पनियों/वदेशी उपकरण उत्पादक फर्मों का प्रतिनिधत्व करते हैं, वे उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के तहत उपकरणों को उद्धृत करने के लिए पात्र होंगे। भारतीय एजेन्सी/डीलर शप/पुनः वक्रेता प्रमाणपत्र बिक्री और सेवा के समर्थन में वस्तुतः ववरण तकनीकी बोली के साथ संलग्न कया जाना चाहिए।

आई.एस.ओ. या सी.ई. द्वारा प्रमाणित फर्म/कम्पनियां ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

- 4.3 बयाना राशजमा (ईएमडी) प्रस्तुत करना।
- 4.4 परिशष्ट 'के' में दर्शाए गए वचनबद्ध के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
- 4.5 प्रमाण के तौर पर पहले तीन साल का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित वार्षिक बिक्री का ववरण प्रस्तुत करना होगा।

बोलीदाता के लिए निर्देश

5.1 कार्य क्षेत्र :-

- (1) सभी उपकरणों की आपूर्ति, प्रतिस्थापन, परीक्षण आदि कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे।
- (2) उपकरणों के प्रतिस्थापन के अंतर्गत आवश्यक परीक्षण तथा संतोषजनक प्रदर्शन भी शामिल हैं। उपयोगकर्ता वभाग से अन्तिम स्वीकृति प्रमाणपत्र लेना वांछनीय है।
- (3) उपकरण के लिए निःशुल्क 3 वर्ष की व्यापक तथा दो वर्ष की अव्यापक वारंटी अपेक्षित है।

5.2 बोली के लिए प्रारूप : निवदा दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भाग-1: तकनीकी बोली (बिना कीमत) सील बंद लफाफे में, ई.एम.डी. तथा निवदा शुल्क अलग-अलग मुहरबंद लफाफे में होनी चाहिए।

भाग-2: मूल्य बोली अलग लफाफे में हो।

सभी मुहरबंद लफाफे उपयुक्त लफाफे में रखें और मुहरबंद होने चाहिए। निवदाकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे निवदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रारूपों के अनुसार वस्तुतः ववरण सहित दर सूची भेजें। निवदाकर्ताओं को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

5.2.1 तकनीकी बोली

- 5.2.1.1 परिशष्ट 'ए' में दर्शाए गए वनिर्देशों के अनुसार एक वस्तुतः तकनीकी प्रस्ताव द्वारा समर्थित चर्चों, रेखा चर्चों, रूपांकन द्वारा होना चाहिए।
- 5.2.1.2 निवदा दस्तावेज (बिन्दुवार) में दर्शाए गए अनुसार परिशष्ट 'बी' के उपकरण के लिए अपेक्षित प्रत्येक मानक के लिए एक तकनीकी अनुपालन ववरण।
- 5.2.1.3 बोलीकर्ता द्वारा वचलन ववरण में यानि परिशष्ट 'सी' की शर्तों एवं निबंधनों का वचलन कया जाता है तो प्रस्तुत कया जाए। वचलन नहीं है तो वचलन ववरण में बोलीकर्ता द्वारा 'नो डेवएशन' लख देना चाहिए।
- 5.2.1.4 परिशष्ट 'डी' के अनुसार मूल्य बोली का ववरण दिया जाना चाहिए।
- 5.2.1.5 परिशष्ट 'ई' प्रारूप में बिक्री के बाद समर्थन ववरण होना चाहिए। सी.एम.सी.ए.एम.सी. लागत प्रतिशत में नहीं रूपयों में उद्धृत कया जाना चाहिए।
- 5.2.1.6 वारंटी प्रमाणपत्र निर्माता/वक्रेता द्वारा दिए जाने पर परिशष्ट 'एफ' के अनुसार होना चाहिए।

- 5.2.1.7 यदि बोली लगाने वाला ई.एम.डी. की पूर्ति बैंक गारंटी द्वारा करता है तो तब उसे परि शष्ट 'जी' में दिए हुए प्रारूप को प्रयोग में लाना चाहिए।
- 5.2.1.8 परि शष्ट 'एच' के अनुसार सूची की जांच करें तथा तकनीकी बोली के साथ संलग्न करें।
- 5.2.1.9 इस नि वदा से पूर्ववर्ती 3 वर्ष की अव ध के दौरान प्रयोगकर्ताओं की सूची (संभवतः ऐसे ही समान उपकरण) 'परि शष्ट-आई'।
- 5.2.1.10 परि शष्ट 'जे' में दिए गए प्रारूप के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी (केवल चयनित कंपनी या वक्रेताओं द्वारा ही) प्रस्तुत की जाए।
- 5.2.1.11 परि शष्ट 'के' में दिए गए प्रारूप के अनुसार निर्माता द्वारा वचनबद्धता या अंडरटे कंग प्रस्तुत की जाए।
- 5.2.1.12 वांछित उपस्कर हेतु बहु वकल्पी दर सूची को बोली लगाने वाले को बिना कसी सूचना दिए अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 5.2.1.13 तकनीकी मूल्यांकन :-
- tकनीकी बोली निर्धारित समय और दिनांक 23-09-2016 को अपरान्ह 3.00 बजे नि वदाकारों की उपस्थिति में खोला जाएगा।
 - tकनीकी बोली की पात्रता की मद उद्धृत करने के लए तकनीकी मूल्यांकन स मति द्वारा जांच की जाएगी।
 - tकनीकी बोली के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी/तकनीकी ववर णका/दस्तावेजों एवं तकनीकी मूल्यांकन स मति की व्यावसायिक सफारिशों के आधार पर योग्य नि वदाकारों की तकनीकी बोली की जांच की जाएगी।

5.2.2 मूल्य बोली :-

5.2.2.1 मूल्य बोली परि शष्ट 'डी' में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5.3 नि वदा दस्तावेज शुल्क: नि वदा दस्तावेज शुल्क भी कंपनियों द्वारा देय है जिन्होंने वेबसाइट से नि वदा दस्तावेजों को डाउनलोड <http://www.nimr.org.in> या <http://eprocure.gov.in/cppp> कया है उन्हें निदेशक, रा.म.अ.सं., नई दिल्ली के पक्ष में नि वदा के साथ रु. 500/- के बैंक ड्राफ्ट को तकनीकी बोली के साथ संलग्न कया जाना चाहिए।

5.4 बयाना रा श जमा: तकनीकी बोली (भाग-1) के साथ बयाना रा श जमा निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पक्ष में कसी भी वा णज्यिक बैंक का डमांड ड्राफ्ट, बैंकर चैक अथवा बैंक गारंटी (संलग्नक परि शष्ट 'जी') के रूप में संलग्न होना चाहिए। यदि तकनीकी बोली के साथ ई.एम.डी. संलग्न नहीं होगा तो नि वदा सरसरी तौर पर ही निरस्त कर दी जाएगी। ई.एम.डी. पर कोई ब्याज देय नहीं है। असफल नि वदाकारों की बोली को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ई.एम.डी. वापस कर दी जाएगी। उन नि वदाकारों की ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी जो बोली को वापस ले लेते हैं या नि वदा में संशोधन कराना चाहते हैं अथवा कसी भी रूप में नि वदा को अप्रतिष्ठित करते हैं।

5.4.1 सफल नि वदाकारों की बयाना जमा रा श (ईएमडी) सभी नि वदा प्र वर याओं जिनमें बैंक गारंटी निष्पादन एवं उन सभी आवश्यक औपचारिकताओं जो नि वदाकर्ता ने अपनी बोली और या बातचीत/खर्चा के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं के पूर्ण करने के उपरान्त ही वापस की जाएगी। यदि नि वदाकार नियत अव ध में अपने वायदे अथवा वचनों को पूर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी एन.आई.एम.आर. के पक्ष में ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी।

5.5 बयाना रा श जमा के भुगतान की छूट :- केन्द्रीय क्रम संगठन (अर्थात डीजीएस एवं डी) और एनएसआई से पंजीकृत फर्मों जिन्हें बयाना रा श जमा के भुगतान की छूट है, को इसकी छूट है यदि उद्धृत कया गया उत्पाद वास्तव में उनके द्वारा निर् मित है और उत्पाद इन एजें सयों से पंजीकृत है। इन एजें सयों से पंजीकृत फर्म जो क अन्य कम्पनियों के उत्पाद बेच रही है और उद्धृत उत्पाद उनके द्वारा निर् मित नहीं है, उन्हें बयाना रा श जमा के भुगतान की छूट नहीं है। ईएमडी के भुगतान से छूट का लाभ उठाने हेतु फर्मों को निर् मित उत्पादों के मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र और डीजीएस एवं डी और एनएसआईसी के साथ पंजीकृत की सुपाठ्य फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होगी जो क तकनीकी बोली के साथ अलग लफाफे में होनी चाहिए।

5.6 बोली जमा: प्रत्येक पृष्ठ के नीचे बोलीदाता द्वारा व धवत् रूप से हस्ताक्षरित नि वदाएं और लफाफे के उपर नि वदा पूछताछ संख्या एवं अंतिम ति थ लखकर निम्न ल खत पते पर भेजें।

निदेशक,
राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान,
सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

- 5.7 प्रत्येक दर सूची दो लफाफों में बंद करके डाक द्वारा या कोरियर द्वारा प्रेषित की जानी चाहिए। अन्दर वाले लफाफे पर सम्पूर्ण ववरण जिसमें टेन्डर का नाम (..... के लिए निवदा) निवदा पृच्छताछ सं. दिनांक और निवदा खुलने की तारीख आदि लिखकर बंद किया जाना चाहिए। प्रत्येक मद हेतु तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली वाले अलग-अलग लफाफों के उपर उद्धृत उपस्कर के नाम के साथ स्पष्ट रूप से 'तकनीकी बोली' एवं 'मूल्य बोली' लिखा होना चाहिए एवं इन दोनों मुहरबंद लफाफों को कसी उपयुक्त लफाफे में डालकर तथा बंद करके राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के दर सूची कक्ष में व्यक्तिगत रूप से कमरा नम्बर 405, रा.म.अ.सं., सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077 में रखे निवदा बॉक्स में डाल दिए जाने चाहिए। निवदाकारों को स्वयं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अपेक्षाओं के साथ उनकी निवदाएं निर्धारित तिथि और निश्चित समय तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। वलम्ब से आई हुई निवदा स्वीकार नहीं होगी। एनआईएमआर, नई दिल्ली डाक संबंधी देरी या अप्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 5.8 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय:- बोली जमा करने की अंतिम दिनांक 23-09-2016 अपरान्ह 2.30 बजे है (भारतीय मानक समय)।
- 5.9 तकनीकी बोली खुलने की तारीख और समय:- जिन निवदाकारों की निवदाएं अंतिम दिनांक और समय से पूर्व एनआईएमआर, नई दिल्ली में प्राप्त हो जाएंगी, उन्हें भारतीय मानक समय के अनुसार समय 3.00 बजे दिनांक 23-09-2016 को खोला जाएगा। इच्छुक निवदाकार/वक्रेता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को निवदा खुलते समय तकनीकी बोली में उपस्थित कर सकते हैं।
- 5.10 मूल्य बोली खोलना:- केवल वे निवदाएं जो हमारी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तथा जिनकी तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सफारिश की गई हैं उन्हीं वक्रेताओं की निवदाओं को जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाई जाती हैं, को मूल्य बोली खोलने के समय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।
- 5.11 एनआईएमआर की वेबसाइट ई-मेल के माध्यम से सभी तकनीकी रूप से जिम्मेदार बोलीदाताओं को निवदा खोलने के समय व दिनांक की सूचना दी जाएगी।
- 5.12 मूल्य उपयुक्तता प्रमाणपत्र:- कृपया निम्नतम मूल्य उद्धृत करें। इस संबंध में निवदाकार द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उन्होंने एनआईएमआर, नई दिल्ली के अलावा कसी अन्य ग्राहक को न तो मर्दों की कम दरों पर आपूर्ति की है/न ही बेचा है।
- 5.13 बोली की भाषा :- बोलीदाता द्वारा तैयार तकनीकी ब्रोशर और बोली से संबंधित सभी पत्राचार केवल हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे।
- 5.14 प्रस्ताव की वैधता:- यह प्रस्ताव, नई दिल्ली में वृत्तीय बोली खोलने की दिनांक के बाद 180 दिनों के लिए मान्य है। एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा एक छोटी अवधि के लिए मान्य प्रस्ताव का प्रत्युत्तर न मिलने पर खारिज हो सकता है। अपवादिक परिस्थितियों में निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली वैधता की अवधि के वस्तार के लिए वक्रेता की सहमति मांग सकती हैं। अवधि के वस्तार हेतु वक्रेता द्वारा स्वीकार बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- 5.15 ऑर्डर मिलने से पहले अन्तरिम पत्राचार पर वचर नहीं किया जाएगा।
- 5.16 निवदा दस्तावेज कसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं हैं।
- 5.17 बोली सभी मामलों में पूर्ण होनी चाहिए अन्यथा अस्वीकृत कर दी जाएगी। निवदा वधवत रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अपूर्ण तथा अहस्ताक्षरित बोलियों पर वचर नहीं किया जाएगा।
- 5.18 निवेदित दरें (कुटेशन) बिना कसी उपरिलेखन के स्पष्ट रूप से लिखी हुई या टंकित होनी चाहिए। बोली में यदि कोई संशोधन या कोई उपरिलेखन किया गया है तो बोलीदाता उसे सत्यापित अवश्य करें।

- 5.19 मूल्य बोली में दी जाने वाली सभी दरें एवं कीमतों को शब्दों व अंकों में दिया जाना चाहिए। यदि शब्दों तथा अंकों में दिए गए मूल्यों में किसी प्रकार की वसंगति पाई जाती है तो दोनों में से कम कीमत वाली दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 5.20 उपकरणों का संस्थापन:- उपकरणों को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना एनआईएमआर, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में संस्थापित किया जाएगा।
- 5.21 निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली के पास उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन करने तथा बिना कारण बताए निवदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 5.22 निवदा निवेदित दर के सभी नियम और शर्तों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

6 सामान्य एवं निबंधन शर्तें

- 6.1 इस प्रस्ताव के साथ फर्म द्वारा भेजी गई मुद्रित शर्तों एवं निबंधन हम पर लागू नहीं होगी। यदि वे पूरी तरह से या आंशिक रूप से इस निवदा में निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अनुसार नहीं हैं।
- 6.2 संस्थापन व कार्य पूर्ण होने का अर्थ आपूर्ति, संस्थापन, कम शनिंग एवं संतोषजनक प्रदर्शन तथा आदेश में दिए गए वनिर्देशों के अनुसार पूरे सस्टम के प्रचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है।
- 6.3 वलम्ब से वतरण व संस्थापन का दायित्व - अगर वक्रेता द्वारा खरीद आदेश में उल्लेखित नियत अवधि से अधिक आपूर्ति, संस्थापन एवं कम शनिंग में वलम्ब होता है तो संवदा मूल्य में से प्रत्येक सप्ताह के वलम्ब के लिए आदेश कीमत का 1 प्रतिशत के बराबर धनराश को परिनिर्धारित नुकसान के रूप में काट लिया जाएगा जो आदेश कीमत का अधिकतम 10 प्रतिशत कटौती के बराबर होगा।
- 6.4 अगर पूर्तिकर्ता/एजेन्ट को रा.म.अ.सं., नई दिल्ली, भारत द्वारा दिए गए आदेशानुसार आपूर्ति सहित संस्थापन एवं कम शनिंग कार्यों को क्रय आदेश में दर्शाए निर्धारित समय या बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा करने में वलंब हो तो उसका खरीद आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और एनआईएमआर, नई दिल्ली चूककर्ता निवदाकार के खर्च एवं जोखिम पर किसी दूसरी एजेन्सी से या उपलब्ध स्रोतों से यह कार्य कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। किए गए कार्य पर अतिरिक्त व्यय का वह भार चूककर्ता निवदाकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह राशि प्रतिभूति निष्पादन की राशि तक सीमित होगी और निवदाकार को 5 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
- 6.5 निरीक्षण :- एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित तरीकों से उपकरणों का निरीक्षण करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।
- 6.5.1 शपमेंट पूर्व निरीक्षण एनआईएमआर, नई दिल्ली के किसी भी कर्मक द्वारा किया जा सकता है।
- 6.5.2 शपमेंट पूर्व निरीक्षण किसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान एजेन्सी द्वारा किया जा सकता है।
- 6.6 पूर्व शपमेंट निरीक्षण के अतिरिक्त एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण एवं जांच की जाएगी और यदि आवश्यक समझा गया तो उपकरण एनआईएमआर में आने के बाद अस्वीकृत कर दिया जाएगा। शपमेंट पूर्व निरीक्षक किसी भी हालत में एनआईएमआर, नई दिल्ली या किसी अन्य निरीक्षण एजेन्सी द्वारा निरीक्षित, जांचे जाने और स्वीकृत होने के बाद सीमित या छोड़ा नहीं जाएगा।
- 6.7 पैकगिंग :- आपूर्तिकर्ता सामान को संवदा में दर्शाए अनुसार इस प्रकार पैक करेगा कि माल को अंतिम गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पूर्व हर प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। सामान की पैकगिंग इतनी बढ़िया (पर्याप्त) होनी चाहिए कि पारगमन के दौरान उस पर नीचे होने पर भी सामान सुरक्षित रहे और पारगमन के दौरान अत्यधिक तापमान, नमक के संपर्क में आने पर या तेजी से चलने पर एवं खुले में रखने पर भी सामान को कोई नुकसान न पहुंचे, जहां भी उचित हो, पारगमन के दौरान सभी बिन्दुओं पर सामान पहुंचने के लिए अंतिम गंतव्य एवं भारी सामान को चढ़ाने उतारने की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही पैकगिंग के डब्बे का आकार और वजन होना चाहिए। अगर पैकगिंग खुलने पर सामान कम पाया जाता है तो पूर्तिकर्ता को उसकी पूर्ति करनी होगी। खराब पैकगिंग के कारण यदि कोई सामान खराब होता है तो उसकी आपूर्ति भी पूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी।
- 6.8 अप्रत्याशित घटना खंड :- किसी प्रकृति आपदा अप्रत्याशित घटना के परिणाम स्वरूप वक्रेता अपनी बोली सुरक्षा, निष्पादन सुरक्षा, धन नुकसान, भूलचूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। चाहे इसके कारण कार्य पूर्णता में देरी होती है और संवदा के समझौते के

अनुसार दायित्वों को पूर्ण करने में वह वफल रहता है तो भी इन सबके लए वक्रेता उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अप्रत्या शत घटना से तात्पर्य है क ऐसी घटना जो आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर है और जिसमें वक्रेता का कोई दोष या लापरवाही नहीं है तथा जिसका कोई पूर्व ज्ञान भी नहीं है। ऐसी घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है ले कन उसकी कोई सीमा नहीं है। वक्रेता या तो अपने संप्रभु या संवदात्मक क्षमता, युद्ध या क्रान्ति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, माल लाने की पाबंदी, दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाने का शासनादेश के वातावरण में कार्य करता है और यदि ऐसी अप्रत्या शत घटना उत्पन्न होती है तो वक्रेता तुरन्त ऐसी स्थिति और कारणों से एनआईएमआर, नई दिल्ली को लखत रूप में सूचित करेगा, शर्तों तथा कारणों से अवगत कराएगा और जब तक एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा लखत रूप से वक्रेता को अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है तो वक्रेता संवदा के अनुसार जहां तक तर्क संगत है कार्य करता रहेगा और अप्रत्या शत घटना के कारण अवरोधित न होने वाले कार्यों को निष्पादित करने हेतु सभी वैकल्पिक साधनों को अपनाएगा।

- 6.9** वस्तार एवं भार:- तकनीकी बोली में उपकरण का वस्तार, शुद्ध भार एवं कुल भार का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 6.10** लागू कानून :- यह निवदा दस्तावेज और संवदा भारतीय कानून एवं भारतीय संवदा अधिनियम के होते हैं जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।
- 6.11** अधकार क्षेत्र :- सभी ववादों को निपटाने के लए न्याय क्षेत्र केवल नई दिल्ली, में स्थित अदालतों के अधीन होगा जो भारत के क्षेत्राधिकार में है।
- 6.12** प्रलेखीकृत नियमावली, आपरेशन नियमावली और सेवा रख-रखाव नियमावली आदि का पूर्ण एवं समग्र सैट हिन्दी या अंग्रेजी में प्रदान किया जाएगा।
- 6.13** मध्यस्थता :-
- (1) यदि संवदा के संबंध में क्रेता और आपूर्तिकर्ता के मध्य में कसी भी प्रकार का कोई ववाद होता है तो पारस्परिक बातचीत एवं सहमति से संबधित पक्षों के बीच तय किया जाएगा।
 - (2) यदि कसी प्रकार से ववाद नहीं सुलझता है तो अन्त में उचित हल निकालने के लए निर्णय लिया जाएगा और अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। इस मामले को आवश्यकता हुई तो मध्यस्थता के निमत एक मात्र मध्यस्थ के लए भेजा जाएगा जो केवल निदेशक, एनआईएमआर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएगी और लागू कानूनों के तहत घरेलू मध्यस्थता के लए निर्माण किया जाएगा।
 - (3) लेन-देन संबंधी सभी ववाद और मुद्दे नई दिल्ली की अदालतों के अधकार क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे।
- 6.14** संवदा की भाषा :- संवदा, खरीद आदेश, और संवदा से संबधित सभी पत्राचार क्रय आदेश केवल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में लखे जाएंगे।
- 6.15** सूचना एवं संप्रेषण :- सभी प्रयोजनों से संबधित सूचनाएं बोलीदाता/ वक्रेता द्वारा नीचे दिए गए पते पर भेजी जाएगी:-

निदेशक,

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान

सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077, भारत

- 6.16** भूलचूक हेतु निष्कासन (समाप्ति):- संवदा भंग करने की स्थिति में बिना कसी पूर्वाग्रह के एनआईएमआर, दिल्ली संवदाकार को भूलचूक का नोटिस देकर संवदा को समाप्त किया जा सकता है। जैसे क :-
- 6.16.1** यदि वक्रेता खरीद आदेश के अनुसार या उसको एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा दी गई कसी वस्तार अवध के अन्तर्गत कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है।
- 6.16.2** यदि वक्रेता खरीद आदेश के तहत अन्य दायित्व को निष्पादित करने में असफल रहता है।
- 6.16.3** यदि वक्रेता की भूमिका को एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा लए गये निर्णय के अनुसार आदेश को निष्पादित करने या प्रतिस्पर्धा में धोखादड़ी या भ्रष्टाचार में लपट पाया जाता है।
- 6.16.4** यदि वक्रेता कानूनी अदालत या एनआईएमआर, दिल्ली द्वारा वचार की गई कार्यवाई में दिवा लया घोषित कर दिया जाता है।
- 6.16.5** यदि वक्रेता के व्यापार या परिसंपत्तियों का वघटन या परिसमापन होता है या अपने व्यापार का अधक भाग (बड़ा हिस्सा) कसी अन्य को स्थानान्तरित कर देता है।

- 6.17 समाप्ति के लए कारण :- एनआईएमआर, नई दिल्ली कसी भी समय वक्रेता को बिना कसी प्रतिपूर्ति के ल खत रूप से पूर्व सूचना दे कर खरीद आदेश को समाप्त कर सकता है।
- 6.18 बौद्धक सम्पदा अधकार:- निवदाकार या वक्रेता, एनआईएमआर, नई दिल्ली के मध्य हुए संवदा के रहते हुए यदि कसी तीसरे पक्ष द्वारा यह दावा कया जाता है क वक्रेता ने उसके उपकरण अथवा माल का भारत के कसी भी भाग में उपयोग कया है एवं पेटेंट, ट्रेडमार्क, उपकरण कापीराइट तथा औद्योगिक डिजाइन अधकार का उल्लंघन कया है तो वक्रेता द्वारा एनआईएमआर, नई दिल्ली को (क्षतिपूर्ति) क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।
- 6.19 प्रशक्षण खण्ड:- निवदाकार निःशुल्क ऑन साइट प्रशक्षण प्रदान या उपलब्ध कराएगा।
- 6.20 संस्थापन पूर्व अपेक्षाएं :- एनआईएमआर, नई दिल्ली में कार्य प्रोजेक्ट को पूरा करने के लए निवदाकार द्वारा मर्दों की वैशष्ट्यकरण सहित संस्थापन हेतु अपेक्षित (संस्थापन पूर्व अपेक्षाएं (हवा, पानी) इलैक्ट्रिक पावर/तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रण/फाउन्डेशन/स्थान) एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में ब्यौरा 'तकनीकी बोली' में शामिल होना चाहिए।
- 6.21 पावती आदेश:- क्रय आदेश/कार्य आदेश/संवदा आदेश की दिनांक से 15 दिन की अवध के भीतर वक्रेता (भारतीय निर्यातक/वदेशी माल का स्वामी या मुख्या) द्वारा पावती आदेश देना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में यह मान लया जाएगा क वक्रेता को संवदा/क्रय आदेश में कोई रुच नहीं है और उसकी सुरक्षा प्रतिभूति राशजब्त कर ली जाएगी।
- 6.22 निष्पादन प्रतिभूति:- खरीद के मामलों में सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा के लए वक्रेता द्वारा भारत के कसी भी अनुसूचित वाणज्यिक बैंक से जारी एकाउन्ट पेयी डमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक या सावध जमा रसीद के रूप में अथवा राष्ट्रीयकृत वाणज्यिक बैंक से जारी 'बैंक गारंटी' के रूप में निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी के अंतर्गत खंड 5.1 (काम का स्कोप) में उल्लेखित वारंटी अवध और व्यापक अनुरक्षण संवदा/वार्षिक अनुरक्षण संवदा के साथ ही उपकरणों/उपकरण के संस्थापन तिथि से तीन महीने की अवध तक या उससे अधिक समय तक को शामिल कया जाना चाहिए। बैंक गारंटी का मूल्य, आदेश मूल्य 10 प्रतिशत है।
- 6.23 सस्टम (उपकरण) को 415-440 वोल्ट तीन फेज की वद्युत आपूर्ति पर कार्य करने योग्य होना चाहिए।
- 6.24 जोखिम संबंधी खंड:- यदि निवदाकार खरीद आदेश में निर्धारित अवध के भीतर उपकरण के संस्थापन एवं पूर्ति आदेश को निष्पादित करने में असफल रहता है तो एनआईएमआर, नई दिल्ली यह कार्य कसी अन्य स्रोत से ऐसी शर्तों एवं अन्य तरीके से जो भी सही हो पूरा कर सकता है। इस प्रक्रया में यदि समान माल या सेवाओं हेतु अतिरिक्त खर्च आता है तो वह निवदाकार को वहन करना पड़ेगा। इस संबंध में वक्रेता का दायित्व केवल निष्पादन प्रतिभूति तक सीमित रहेगा।
- 6.25 जिम्मेदारी :- एक सफल निवदाकार का यह उत्तरदायित्व होता है क आदेश का निष्पादन करते हुए संस्थान की संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति न पहुंचे। वक्रेता का दायित्व निष्पादन प्रतिभूति तक सीमित रहेगा।
- 6.26.1 गारंटी/वारंटी, दोष व दायित्व अवध :- व्यापक वारंटी के लए यह अवध तीन साल तथा गैर व्यापक वारंटी के लए दो साल तक निःशुल्क होती है। यह अवध संतोषजनक संस्थापन के पूर्ण होने एवं प्रदर्शन की अवध से आरंभ होगी एवं एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
- 6.26.2 डाउन टाइम:- वक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित कया जाएगा क कसी भी अवसर पर काम बंद रहने का समय सात दिन से अधिक नहीं होगा और वांछनीय < 72 घंटे होगा। तथापि सभी शिकायतों को 72 घंटे के भीतर सुना जाएगा। ऐसा न होने की स्थिति में, सात दिनों के पश्चात् वारंटी/व्यापक अनुरक्षण संवदा/वार्षिक अनुरक्षण संवदा को कार्य व्यवधान अवध दोगुना बढ़ा दिया जाएगा।
- 6.26.3 उपकरण/उपकरणों को 10 साल तक सही हालत में रखने (3 वर्ष व्यापक वारंटी अवध के परे) के लए आवश्यक है क निवदाकार अथवा फर्म द्वारा कल-पुर्जा तथा उपभोग्य सामग्री की मूल सूची (बी.एस.आर.) उपलब्ध करवाई जाए। सभी पार्ट्स एवं संबंधित उपभोग्य सामग्री पर 3 साल व्यापक वारंटी के अलावा कम से कम 5 साल तक की छूट दी जानी चाहिए। उपकरणों की वारंटी/व्यापक अनुरक्षण संवदा/वार्षिक अनुरक्षण संवदा के दौरान एक वर्ष के अन्तर्गत कम से कम चार निवारक और असीमित हेतु (प्रत्येक 90 दिन में एक बार) का वर्ष में चार बार वजित कया जाना चाहिए।
- 6.26.4 यदि निवारक रखरखाव सेवा प्रदान करवाए जाने में कसी प्रकार का वलम्ब होता है तो वारंटी/व्यापक अनुरक्षण संवदा/वार्षिक अनुरक्षण संवदा की अवध को निवारक अनुरक्षण में होने वाली देरी के समान दिनों की अवध तक बढ़ाया जाएगा।

- 6.26.5** परिवहन : यदि कोई उपकरण या उपकरण का हिस्सा वारंटी/व्यापक अनुरक्षण संवदा/व्यापक अनुरक्षण संवदा की अवधि के दौरान कम्पनी के सर्विस सेन्टर या कार्यशाला में भेजा जाना आवश्यक है तो पूरा परिवहन शुल्क या परिवहन का खर्चा कम्पनी या बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- 6.27** उपभोक्ता सूची :- बोलीदाता द्वारा आपूर्ति किए गए सभी सामान उपकरणों की हस्ताक्षरित सूची दूसरे संस्थानों जैसे आईसीएमआर, सीएसआईआर, प्रयोगशालाओं, सरकारी या निजी अस्पतालों या किसी राज्य और केन्द्र सरकार की तरह अन्य चकत्सा संस्थानों (पछले 3 वर्षों के दौरान भारत में वभागों/उपक्रमों) को उपलब्ध करानी होगी जिसमें आपूर्ति किए गए उपकरणों की क्षमता, मॉडल प्रकार, मूल्य आदि तथा उन पार्टियों के पते जिनको क उपकरणों की आपूर्ति की गई है, का उल्लेख किया गया हो।
- 6.28** निवदा/दर सूची का स्वीकृत होना या न होना निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली पर निर्भर होगा। निदेशक निम्नतम निवदा/दर सूची को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और स्वीकृति से संबंधित सभी अधिकार निदेशक, एनआईएमआर के पास सुरक्षित होंगे। वह बिना कोई कारण बताए निवदा रद्द कर सकते हैं। यदि कोई शर्त बोलीदाता द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो निवदा स्वतः ही रद्द हो जाएगी।
- 6.29** बोलीदाता को निवदा स्वीकृति जांच के समय निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- 6.29.1** तकनीकी प्रचालन (कार्य व ध) एवं रखरखाव नियमावली का पूरा सेट।
- 6.29.2** एसेसरीज सहित दिए गए उपकरणों की वस्तुतः सूची
- 6.29.3** मोड और कनेक्टिविटी ववरण (यदि लागू हो)
- 6.29.4** तंत्र का आरेख
- 6.29.5** फर्म द्वारा अपने निवदा दस्तावेज में दर्शाई गई उन शर्तों को पूर्ण नहीं किए जाने पर उसे "काली सूची" घोषित कर दिया जाएगा और भवष्य में फर्म के साथ सभी प्रकार के व्यापार को 5 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा।
- 6.29.6** यदि एकतरफा प्रति क्रया प्राप्त होती है तो निवदा को फर से निश्चित किया जाएगा और यदि दोबारा भी एकतरफा प्रति क्रया या प्राप्त होती है तो निदेशक की अनुमति से इस पर वचार किया जाएगा। यह स्वा मत्व मर्दों हेतु मान्य नहीं होगा।
- 6.29.7** निवदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित होनी चाहिए और निवदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अनुलग्नकों की सूची का भी उल्लेख होना चाहिए। जहां क किसी भी भ्रम से बचने के लिए निवदा के अनुलग्नकों के पृष्ठों की संख्या के साथ ही निवदा का ववरण भी लिखा होना चाहिए।
- 6.29.8** यदि फर्म द्वारा उद्धृत उपकरण या मॉडल का निर्माण बंद कर दिया जाता है / उद्धृत करने के पश्चात् निर्माण किया जाता है तो फर्म एनआईएमआर को सूचित करेगी तथा एनआईएमआर से स्वीकृति मिलने के उपरान्त फर्म द्वारा समान कीमत पर समान मेक के बराबर या उससे अधिक गुणवत्ता वाली वस्तु की आपूर्ति करनी होगी। निवदा की अन्य शर्तें और नियम अपरिवर्तनीय रहेंगे।
- 7** स्वदेशी प्रस्तावों के लिए विशेष नियम व शर्तें :-
- 7.1** कीमत :- मूल्य बोली में कीमतें या तो पूर्व कार्य या एनआईएमआर, नई दिल्ली में निःशुल्क वतरण के आधार पर उद्धृत की जानी चाहिए। अगर यह पूर्व कार्य है तो पैकंग और अग्रेषण शुल्क, बीमा (गोदाम से गोदाम तक सभी जोखमों साथ मूल्य का 110 प्रतिशत) सड़क मार्ग से माल ढुलाई शुल्क (किसी भी प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर द्वारा) कोरियर द्वारा (किसी भी प्रतिष्ठित कोरियर द्वारा) द्वारा पर वतरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इन ववरणों के बिना निवदा सरकारी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
- 7.2** कर :- स्वदेशी सामान के मामले में बिक्रीकर की दर/वैल्यू एडेड टैक्स/सीएसटी/खुंगी प्रभार आदि यदि लागू है तथा क्रेता से दावा किए जाने के इरादे से विशेष कीमत के साथ उद्धृत दर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा न करने की स्थिति में इस तरह का दावा किसी भी स्थिति व स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 7.3** बैंक का पता :- हमारा बैंक केनरा बैंक, सी.सी.आर.टी., सैक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 हैं। सभी बैंक और ड्रमाड ड्राफ्ट "एकाउन्टपेयी" होने चाहिए।
- 7.4** पंजीकरण संख्या :- निम्न लिखित प्रमाणित प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- 7.4.1** बिक्रीकर/वैल्यू एडेड टैक्स पंजीकरण संख्या
- 7.4.2** सर्विस टैक्स पंजीकरण संख्या
- 7.4.3** वर्तमान आयकर समाशोधन और पैन्
- 7.4** सर्विस सपोर्ट :- पोस्ट संस्थापन वारंटी समर्थन आपके नई दिल्ली सेवा केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस लिए संपर्क व्यक्ति का नाम सहित संपर्क पता, एवं टेलीफोन नम्बर का उल्लेख किया जाना चाहिए।

- 7.5 भुगतान की शर्तें :- कोई भी अग्रम भुगतान नहीं किया जाएगा तथा प नि वदाकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में उपकरणों/उपकरण के सफल संस्थापन के पश्चात् व्यापक वारंटी की अवध (3 वर्ष) की समाप्ति और अतिरिक्त 60 दिनों की समाप्ति तक वैध आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर निष्पादन प्रतिभूति जमा करने के पश्चात् शतप्रतिशत भुगतान जारी कर दिया जाएगा।
- 8 आयातित प्रस्तावों के लए विशेष नियम व शर्तें :-
- 8.1 लागत :- मूल्य बोली में पूर्व कार्यों के मूल्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। भारतीय एजेन्टों का कमीशन यदि कोई हो तो क्रय आदेश (खरीद आदेश) में अंकित मूल्य पूर्व कार्य का कार्य के मूल्य में से घटा दिया जाएगा। मूल्य बोली में निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेटवे तक लगने वाले एफ ओ.बी. प्रभार स्पष्ट रूप से दर्शाए जाने चाहिए।
- 8.2 निर्यात लाइसेन्स :- यदि वक्रेता ने अपेक्षित उपस्कर नामत सरकारी एजेंसी कसी देश से माल प्राप्त किया है/बेचा है, ऐसी स्थिति में वक्रेता को सरकारी एजेंसी/प्राधकारी के नाम, पता का उल्लेख करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वक्रेता को उस समयावध का भी उल्लेख करना चाहिए जिस अवध में लाइसेंस को समान्यतः मंजूरी दी जाएगी।
- 8.3 सीमा शुल्क :- एनआईएमआर को अधसूचना 173/94-कर दिनांक 06.10.94 के रूप में संशोधित अधसूचना संख्या-148/94/कर दिनांक 13.07.1994 के अंतर्गत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होगी। हालांकि नि वदाकार के सीमा शुल्क (प्रतिशत और राश) और उत्पाद शुल्क (प्रतिशत और राश) यदि लागू हों, का अलग से उल्लेख करना चाहिए। एनआईएमआर भी खरीद आदेश के साथ सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र (सी.डी.ई.सी.) प्रदान करेगा।
- 8.4 भारत से बाहर साख-पत्र बनवाने के लए बैंकंग प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- 8.5 सीमा शुल्क समाशोधन गति वध्यां कम्पनी/नि वदाकार द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी तथा आवश्यक दस्तावेज उनके अनुरोध पर एनआईएमआर, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए और इसके साथ ही उपस्कर/उपकरणों को नई दिल्ली या एनआईएमआर की कसी भी क्षेत्रीय ईकाइयों तक पहुंचाने का कार्य नि वदाकार/कम्पनी द्वारा निःशुल्क किया जाएगा।
- 8.6 भारतीय एजेन्ट का कमीशन यदि कोई हो : यदि भारत में आपका कोई एजेन्ट है तो कृपया उल्लेख करें कि पूर्व कार्य मूल्य में एजेन्ट को दी जाने वाली कमीशन की धनराश सन्मिलित की गई है या नहीं, का कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सरकार के नियमों के तहत भारतीय एजेन्ट की कमीशन धनराश का भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में ही देय है। एनआईएमआर, नई दिल्ली की सहायतार्थ भारतीय एजेन्ट के द्वारा निर्वाह की गई भूमिका को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए तथा प्राधकार-पत्र की प्रति तकनीकी बोली के साथ भी संलग्न की जानी चाहिए।
- 8.7 उद्गम स्थल (मूल देश) : कृपया विशेष रूप से उस स्थान/मूल उद्गम स्थल का उल्लेख करें जहां से माल भेजा जाएगा। ये सभी ववरण साख-पत्र स्थापना, बीमा व्यवस्था आदि के लए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- 8.8 निरीक्षण :- एनआईएमआर, नई दिल्ली के भंडार में माल के प्राप्त होते ही भारतीय एजेन्ट/भारतीय शाखा कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाएगा। माल प्राप्त होने के 24 घंटे के पश्चात् भारतीय एजेन्ट के प्रतिनिधि एनआईएमआर, नई दिल्ली के भंडार कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी संयुक्त रूप से माल का निरीक्षण करेंगे। माल का मलान कार्य आदेश एवं बैंकंग सूची को देख कर किया जाएगा। निश्चित मात्रा से अधिक आपूर्ति, कमी और माल में कसी भी तरह की टूटफूट या गलत आपूर्ति को तुरन्त नोट किया जाएगा और वक्रेता को इस संबंध में सूचित किया जाएगा। क्षतिग्रस्त और अस्वीकृत आपूर्ति को आपको स्वयं के जोखिम और लागत पर वापस कर दिया जाएगा। वक्रेता को इस कमी को पूर्ण करना होगा और क्षतिग्रस्त/गलत शीपमेंट को निःशुल्क प्रतिस्थापित करके एनआईएमआर, नई दिल्ली में भेजना होगा।
- 8.9 संस्थापन एवं चालू करना:- साख-पत्र खुलने के पश्चात् सफल नि वदाकार द्वारा 12 सप्ताह या खरीद आदेश में उल्लेखित समयावध के अंतर्गत ही आपूर्ति स्थल कार्य, उपकरणों का संस्थापन और कमी शनिंग (चालू करना) तथा संतोषजनक प्रदर्शन के उपरान्त उपकरणों को सुपर्द करना होगा अन्यथा नियमानुसार वक्रेता द्वारा अर्थ दंड पर जुर्माना भुगतान लगाया जाएगा। समय सीमा संवदा के लए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
- 8.10 सेवा :- वदेशी प्रमुख के भारतीय शाखा कार्यालय/भारतीय एजेन्ट को उपकरणों की वारंटी अवध के अन्तर्गत या वारंटी अवध के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा। यदि एनआईएमआर, नई दिल्ली को वारंटी अवध के पश्चात् एएमसी की आवश्यकता होने पर चाहे तो भारतीय एजेन्ट या भारतीय शाखा कार्यालय को पूर्ण सहयोग/समर्थन प्रदान करना होगा।

- 8.11** वलय और अधग्रहण :- कसी दूसरी कम्पनी या फर्म के द्वारा यदि वदेशी प्रमुख कम्पनी का वलय अथवा अधग्रहण किया जाता है तो इस संबंध में एनआईएमआर, नई दिल्ली को तुरन्त सूचित करना पड़ेगा।
- 8.12** भारतीय एजेन्ट को बदलना :- यदि वारंटी अवधि के दौरान या उसके उपरान्त भारतीय एजेन्ट में कोई भी परिवर्तन होता है तो वदेशी प्रमुख द्वारा नई कंपनी का नाम और पते के बारे में एनआईएमआर, नई दिल्ली को तुरन्त सूचित करना होगा।
- 8.13** बीमा :- जब तक संवदा में वदेशी प्रमुख द्वारा सामान का बीमा कराने की आवश्यकता होती है वक्रेता द्वारा तब तक सामान का बीमा करवाया जाएगा।
- 8.13.1** गोदाम से गोदाम के आधार पर संवदा की एफओबी राश 110 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए बीमा।
- 8.13.2** सभी जोखमों के आधार (संस्थान कार्गो खंड) या समकक्ष शर्तों के अनुसार।
- 8.13.3** प्रतिष्ठित बीमाकर्ता अथवा प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी के साथ।
- 8.13.4** कसी भी अतिरिक्त बीमा के अंतर्गत एनआईएमआर, नई दिल्ली के पक्ष में वक्रेता द्वारा विशेष अनुरोध करने पर व्यवस्था की जाएगी।
- 8.14** आयात माल का भुगतान:- शत-प्रतिशत मूल्य का साख-पत्र स्थापित किया जाएगा तथा भुगतान दो भागों में किया जाएगा।
- 8.14.1** वदेशी प्रमुख या उसके भारतीय एजेन्ट द्वारा 80 प्रतिशत भुगतान आदेश मद्द के प्रेषण के पश्चात् मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा 10 प्रतिशत निष्पादक प्रतिभूति भारत के कसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी मयादी जमा रसीद के रूप में, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में अथवा भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक से निष्पादन बैंक गारन्टी के रूप में, किया जाएगा जो कि वैध व्यापक वारंटी की समाप्ति तक मान्य होगा और इसके साथ ही अतिरिक्त 3 महीने और निवदाकर्ता द्वारा निवदा में प्रतिबद्ध बातचीत तथा चर्चा के अनुसार किए सभी वादों की पूर्ति करने के आधार पर किया जाएगा।
- 8.14.2** 20 प्रतिशत भुगतान मद्द की संतोषजनक आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग (चालू करना) एवं उसका प्रदर्शन तथा निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जाएगा।
- 8.14.3** यदि साख पत्र को एनआईएमआर, नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य कारणों के कारण बढ़ाना या बहाली की आवश्यकता है तो बैंक प्रभार लाभार्थी के खाते से वसूल किया जाएगा।
- 8.14.4** दस्तावेज:- शपमेंट के 48 घंटों की अवधि के अन्तर्गत दस्तावेजों पर वार्ता करके समय साख-पत्र हेतु नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- 8.14.4.1** वाणिज्यिक बीजक - 3 प्रतियां (मूल)
- 8.14.4.2** पैकंग सूची - 2 प्रतियां
- 8.14.4.3** माल के उद्गम देश का प्रमाणपत्र - 1 प्रति
- 8.14.4.4** मास्टर एयर बिल/बिल ऑफ लेडिंग - 2 प्रतियां
- 8.14.4.5** वारंटी प्रमाणपत्र - 2 प्रतियां

तकनीकी वै शष्ट्यकरण

क्रम संख्या	उपस्कर का नाम	मात्रा	तकनीकी वै शष्ट्यकरण
1.	Binocular Upright Compound Microscope	Three	<ul style="list-style-type: none"> • Built-in Transmitted light illumination with 6V 30W halogen lamp • External main power supply with electronic main control 220-240V. • Carrying handle built-into the stand. • Backward inclined (away from the operator) Quadruple revolving nosepiece with precision click stops. • Condenser with numerical aperture ~1.25 with built-in aperture diaphragm. • Slide Stage should have ball bearing specimen holder and should have right handed coaxial X and Y movement. • 360 degrees rotatable Binocular swiveling (upper & lower position) • Paired Eyepieces with 10x magnification, field of view 18mm and should be suitable for spectacle wearers. • High contrast Fully Plan Achromatic objectives, 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 and 100x/1.25 oil. • Microscope should include daylight filter, immersion oil and dust cover. • The manufacturer should have ISO 9001, 14001, CE and CSA Certification
2	Biosafety Cabinet Class II- A2	One	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum Working Area 3ft.x1.5ft • Fitted with HEPA filter having filtration efficiency up to 99.97% with particle retention of > 0.3µm • 100% air exhaustion to the room or a facility of exhaust system • Minimum interior Dimensions (WXHXD) mm: 1150x720x600 • Includes UV Lamp, illumination, pressure manometer with provision of multiple power socket etc. • Leveling screws with wheels to set the equipment in the lab for vibration free work.
3	Data Logger	Six	<ul style="list-style-type: none"> • USB paperless temperature recorder • Temperature range: -85°C to ambient • LCD display of current readings • Memory: 25,000-30,000 reading storage capacity • High accuracy with high reading resolution

			<ul style="list-style-type: none"> • Fast data offload • Splash-proof case • Low battery monitor with user-replaceable battery • Annual calibration for three years
4	Deep Freezer -20°C	Six	<ul style="list-style-type: none"> • Vertical, 340-400 liter capacity • Minimum temperature: -20°C • CFC free refrigerant • Built-in condenser for low energy consumption • Rust Free Inner body material • Minimum four independent compartments with insulated inner doors • Control panel with Digital display • Lockable outer door • Low noise • Thermostat audio/visual alarm warning system • Fully automated defrost system • Mounted with coasters
5	Deep Freezer -80°C	One	<ul style="list-style-type: none"> • Upright Model with single door. • Capacity: Approx. 500 – 750 liters • It should be mounted on 4 caster wheels • Operational temperature: User settable between -50 deg to -86°C. • Multiple internal boxes or racks with individual inner doors • Outer locking facility with sturdy and rugged door handle • Low noise level • Eye-level, easy to use microprocessor control panel • Heavy duty dual compressor for refrigeration with ISO, CE, certification • Audio-visual high & low temperature alarm • Password protected temperature and alarm settings • Multiple interior compartment doors • CO₂ or LN₂ safety back-up system • Built in chart recorder • Power Management System with low voltage surge protection • Suitable Stabilizer
6	GPS Device	Six	<ul style="list-style-type: none"> • Color TFT and USB Interface • Barometric altimeter • Electronic compass • Unit to unit data transfer • Built in memory – 1.5 GB or higher • Battery life – at least 25 hours

7	Gel Documentation System	Two	<ul style="list-style-type: none"> • GLP compliant fully automated microprocessor based computer controlled gel documentation and image analysis system for fluorescence applications • 16-18 bit high resolution CCD camera • Image resolution: 6.8 – 8.0 mega pixels • Pixel array: 2176 X1760 • Sample viewing area: 24-26 X 29-32cm • Illumination control (trans-UV, trans white, epi-white) • Auto switch-off function for UV • Automatic application driven software for image capture, stabilization, correction, pixel adjustment, exportability to TIFF compressed. • 1D gel analysis software with automatic band matching. • Branded desktop computer with 500Gb HDD, 4 GB RAM and i3 or more powerful processor with MS Window OS
8	Hemoglobin Meter	Five	<ul style="list-style-type: none"> • Sample material: Capillary or whole blood. • Measurement range: 5-25.6 g/dL • Results: < 10 seconds. • Accuracy: Correlation of 0.99 when compared to the reference method (ICSH method) • Storage: temperature 0-50 °C (32-122 °F).
9	Horizontal Gel Electrophoresis Unit with power pack	Five	<ul style="list-style-type: none"> • Single piece acrylic moulded tank with dimensions (W x L x H) 20 x 32 x 7cm • UV-transparent acrylic gel casting tray • Gel Dimensions (W x L) 12.8 x 15cm • Multiple Comb options for sample loading <p>Power Supply</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power supply output Volts: 0-300V; Current:1-400mA • Maximum power output 80W • Output sockets 4 in parallel. • Digital display with timer. • Input power 230V
10	Ice Flaking Machine	One	<ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel cabinet properly insulated • Minimum 25kg bin capacity • Up to 10 kg/day production • Appropriate safety protection measures

11	Nanodrop	Two	<ul style="list-style-type: none"> • Integral xenon flash lamp • Path length 1mm • Minimum sample volume 1micro liter • CCD Array detector • photometric linearity <1% • wavelength 230 to 850nm • spectral bandwidth 3nm • detection limit ~3ng/μl, reading time 2 seconds • Desktop PC (with 500Gb HDD, 4 GB RAM and i3 or more powerful processor with MS Window OS) with dedicated software
12	Realtime PCR with desktop computer	One	<ul style="list-style-type: none"> • Quantitative real time PCR in 96 well format compatible with 0.2 ml Tubes • Peltier-based silver thermal block • Block homogeneity ± 0.2 °C or better • Control accuracy ± 0.1 °C (minimum) • Ramping rates up to 5°C/sec • High performance optical system that should include high intensity LEDs and detectors (CPM or CCD) • Compatible with FAM, SYBR Green, etc. • The access to the software (and its future upgrades) should be unlimited. • A Desktop computer compatible to the machine to be included. • Input power 220-240V
13	Refrigerated Centrifuge	Two	<ul style="list-style-type: none"> • Speed limit max. 14,000g • Cooling range ambient to -8°C • Digital speed Indicator • Fixed angle rotor: 24 to 32 wells for 1.5-2 ml tubes • Timer 0-100 min • Microprocessor control • CFC free refrigerated system • Safety lid interlock
14	Single Channel Micropipette, variable volume (Set of 4)	8 Sets	<ul style="list-style-type: none"> • Range: 0.1-10ul, 2-20ul, 20-200ul, 200-1000ul (one each in a set) • Fully autoclave able, UV resistant body • Accurate digital volume setting • Single hand lock lever • Annual calibration for three years

15	Thermal Cycler (Temperature Gradient)	Four	<ul style="list-style-type: none"> • 0.2 ml. 96-wells block • Advanced peltier-based with semiconductor technology • LCD display with touch Screen • Auto restart after power failure • Adjustable ramping rate (0-5°C per second) function • Temperature range: 4°C-99.9°C • Temperature range gradient : 35 to 99.9°C • Gradient accuracy: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ • Memory to save more than 200 programs
16	Turbidimeter	One	<ul style="list-style-type: none"> • Measurement Method Ratio turbidimetric determination using a primary nephelometric light scatter signal (90°) to the transmitted light scatter signal. • Range 0 to 1000 NTU (FNU) • Accuracy $\pm 2\%$ of reading plus stray light from 0 to 1000 NTU • Repeatability $\pm 1\%$ of reading, or 0.01 NTU (FNU), whichever is greater • Resolution 0.01 NTU on lowest range • Signal Averaging Selectable on/off • Detector Silicon photovoltaic • Rapidly Settling Turbidity
17	Visible/ UV Spectrophotometer single beam	One	<ul style="list-style-type: none"> • Optical system – grating based single beam • Wavelength range-190-800nm • Silicon Photo diodes Detector • Tungsten and Deutrium lamp Light source • Cuvette capacity: ~0.1ml to 1.5 ml • Appropriate computer interface • Desktop PC (with 500Gb HDD, 4 GB RAM and i3 or more powerful processor with MS Window OS) • In-built application software for quantification of DNA, RNA and Protein
18	Spectrofluorometer	One	<p>Hardware Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Light source: Xenon Lamp • Excitation and emission wavelength: 320-380 nm for excitation and 460 nm for emission wavelengths • Cuvette size: ≤ 200 microliter • Wavelength scale: 190-650 nm • Measuring wavelength range: 190-650 nm • Sensitivity: ≤ 1 ng/ml • Power requirements: 100-240 V AC • Operational temperature range: Ambient $\pm 20^\circ\text{C}$ • Operational humidity range: Ambient <p>Software Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Measurement: Fluorescence measurement for fluorescence based enzyme substrates (software updates)

			<p>must be provided periodically)</p> <p>Data Processing, filing and Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinetic analysis • Graph plotting options, Printer friendly and Excel sheets • Data Storage and safety features • Calibration when required <p>User Interface: Easy to operate</p> <p>Other Functions: Data Storage and safety</p> <p>PC requirements: Compatible with Windows PC with core i3 or higher version</p>
19	Fluorescence Spectrophotometer	One	<p>PC Controlled system should be able to measure Fluorescence, Phosphorescence, Chemiluminescence and Bioluminescence with following specifications:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Light Source: Software controlled Polarized light using Ozone free Xenon flash Lamp. • Measuring Wavelength: Excitation 200–800 nm and Emission 200–650 nm with zero order selectable. • Optical System: Standard Monochromator with advanced grating. • Spectral Bandpass: Excitation Slit: 3 to15 nm, 0.1 nm steps or better; Emission Slit: 3 to 15 nm, 0.1 nm steps or better • Sensitivity: Signal-to-Noise level using the Raman band of water, excitation 350 nm:- <ul style="list-style-type: none"> a. 750:1 RMS measuring noise on the Raman peak b. 2500:1RMS measuring noise on the baseline. • Wavelength accuracy: $\pm 1\text{nm}$ • Wavelength reproducibility: $\pm 0.5\text{nm}$ • Wavelength Scan Speed: 10-1500 nm/min in 1nm increments. • Detector: Gridless PMT. • Automated computer controlled polarization accessory: with a horizontal and vertical polarizing element. Automatically controlled for polarization, anisotropy or G-factor • Software-controlled filter wheel in the emission monochromator with 290, 350, 390, 430 and 515 nm cutoff filters, 1% T attenuator and clear beam. • Cuvettes/Cell: Pair of 3.5 ml, 10 mm Path length and with Micro Plate Reader for low volume Samples with 96 well plate • Software: Original Licensed Software should have kinetic, DNA/RNA & protein estimation, scan and time

			<p>drive wavelength program data collection modes with compatible PC with color printer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 KVA UPS
20	Stainless Steel Rabbit Cage unit with 3 Cages and 1 Rack	One	<p><u>Rack</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rack Material: AISI 304 quality stainless steel square pipe of size 25mmx25mm and Stainless Steel angle. Rack to hold three SS Rabbit Cages of size 450x600x450mm. • Movable on Polyurethane swivel castor wheels with brakes • Joints welded with Argon Arc Welding with glossy finish <p><u>Cage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cages (3 Nos.), 304 quality Stainless Steel Rabbit Cage with all accessories made of ISI non magnetic alkaline and chemical resistant 304 quality stainless steel sheet and wire. • Main frame of the cage made of 1.25"x1.25" SS angle and covered up to a height of 150 mm from Bottom with SS sheet of 22swg. and further turned inside to make a channel for bottom excreta tray • Wire mesh of size 2"x1"x10swg welded inside the SS angle on all three side including top of cage. • Cage door having arrangement of fixing water bottle and food hopper with a card holder on the right upper side of the door. The door made of wire mesh of 2"x1"x10swg welded on a frame of 5mm SS rod and covered with 22swg SS sheet up to 150mm from bottom • Bottom Floor net of 12mm x12mm x 12swg SS wire welded on a frame of 5mm SS rod. Excreta tray made of 22swg Stainless Steel sheet with turned edges. • Water bottle: Polypropylene water bottle of capacity 500ml fitted with neoprene rubber cork and SS bent nozzle.
21	Microscope with Digital Camera	One	<ul style="list-style-type: none"> • Microscope with LCD camera screen • Viewing Head: Compensation free binocular head inclined 30° • Objective Lenses: Achromatic 4x, 10x, 40xs, 100xs oil objectives. • Eyepieces: Wide field 10x • Nosepiece: Quadruple • Condenser: Focusable ABBE condenser, NA 1.25 with Iris diaphragm and slot. • Specimen Stage: Double layer mechanical stage (approx. 140mm x 140mm) and moving range 75mm x 50mm

			<ul style="list-style-type: none">• Focusing: Fine and coarse coaxial• Illumination: LED; adjustable intensity• Contrast methods: transmitted light (bright field and phase contrast)• LCD Display: 12.1 inch - 15 inch color, 1024 x 768 pixels with compatible camera having minimum sensor size 1/1.8inch and 5 megapixels• Image acquisition : Embedded operating system with software for image capture, compatible with 24-bit to 32-bit color TIFF, JPG or BMP• Include Output port(s) : at least 2 USB 2.0• Power supply : Input 220-240 V; 50Hz.
--	--	--	---

परि शष्ट-'ए' में अंकित वै शष्ट्यकरण के अनुसार तकनीकी अनुपालन (बिन्दुवार संलग्न करना अनिवार्य है)

वै शष्ट्यकरण/सुर्जेनि वदा जांच के उपसाधनों के नाम	उद्धृत मॉडल/सुर्जेठपसाधन का वै शष्ट्यकरण	अनुपालन कया हॉ या नहीं
उपकरण के लिए वै शष्ट्यकरण		

बोली लगाने वाले के मुहर सहित हस्ताक्षर

- यदि बोली लगाने वाला अनुपालन ववरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसकी बोली अस्वीकृत मानी जाएगी।
- बोली लगाने वाला एक से अधिक मॉडल का प्रस्ताव रखता है तो प्रत्येक मॉडल के लिए तकनीकी अनुपालन ववरण अलग से संलग्न कया जाना चाहिए।

वचलन ववरण प्रपत्र

तकनीकी वै शष्ट्यकरण से तकनीक वचलन एवं वै भन्यताओं का ववरण नीचे दिया गया है :-

व्र .सं.	मद	वचलनों/वै भन्यताओं का ववरण

नि वदा दस्तावेजों के नियम और शर्तों की अपेक्षाओं अनुसार वचलनों का ववरण निम्नानुसार है :-

व्र .सं.	नियम और शर्तों का वचलन खंड	वचलन का औ चत्य

ये वचलन और बदलाव संपूर्ण हैं। इन वचलनों और वै भन्यताओं को छोडकर संपूर्ण कार्य आपके वै शष्ट्यकरण एवं दस्तावेजों के अनुसार कया जाएगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर
दिनांक

नोट:

तकनीकी अनुपालन/वचलन प्रासं गक तकनीकी साहित्य द्वारा सम र्थत होना चाहिए।

मांग की तुलना में यदि वनिर्देश उत्कृष्ट/घटिया होते हैं तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से औ चत्य प्रस्ताव में होना चाहिए।

यदि बोली लगाने वाला एक से अ धक मॉडल का प्रस्ताव रखता है तो तकनीकी अनुपालन ववरण प्रत्येक मॉडल के लए अलग से संलग्न कया जाना चाहिए।

परि शष्ट-'डी' (मूल्य बोली का भाग)

सुझाए गए अनिवार्य घटकों के अनुरूप प्रस्तावत उपस्करों, पुर्जों एवं उपसाधनों की लागत एवं अन्य ब्यौरा (मूल्य बोली में संलग्न होना चाहिए)

वस्तुओं के मॉडल एवं उद्भव स्थल (देश) का संक्षिप्त ववरण	मात्रा (संख्या)	मूल कीमत	भाड़ा / बीमा	सीमा शुल्क (प्रतिशत और रा श)	उत्पाद शुल्क (अगर कोई प्रतिशत और रा श है)	बिक्रीकर/ बेट/ सीएसटी/ सेनवैट (अगर कोई प्रतिशत और रा श है)	अंतर्देशीय परिवहन	प्रो षत स्थल पर आकस्मिक सेवा (जिसमें संस्थापन पर्यवेक्षण, प्र शक्षण शा मल हैं)	यूनिट मूल्य (प्रे षति स्थल पर) (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच) के आधार पर जो भी उपयुक्त हो	उपस्कर की वॉय वेक हेतु मूल्य यदि कोई है	कुल कीमत प्रे षति स्थल के आधार पर (10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कुल नि वदा मूल्य (अगर कोई है) वदेशी मुद्रा और भारतीय रूपए (शब्दों में).....

नोट :

- अगर युनिट मूल्य और कुल कीमत के बीच कोई वसंगति हैं, तो युनिट मूल्य मान्य होगा।
- नि वदाकार को सीमा शुल्क (प्रतिशत और रा श) उत्पाद शुल्क (प्रतिशत और रा श) और सीएसटी.वैट (प्रतिशत और रा श) यदि लागू है अलग से दर्शाया जाए।
- वदेशी मुद्रा घटक (अगर कोई है) और भारतीय रूपया घटक भी अलग से दिखाया जाएगा।
- वारंटों के बाद वा र्षक सीएमसी/एएमसी के लए शुल्क अलग से उद्धृत कया जाएगा।
- उपर्युक्त उद्धृत कीमत में 3 साल की व्यापक वारंटों और 2 साल के गैर व्यापक वारंटों शा मल होगी।

नि वदाकार के हस्ताक्षर.....

नाम

व्यावसायिक पता

नि वदाकर्ता की सील

स्थान

बिक्री सेवा समर्थन ववरण के बाद

क्र.सं.	स्थानीय पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और एजेंट का ईमेल पता जो बिक्री के बाद समर्थन प्रदान करेगा।	इंजीनियरों/सेवा कर्मों की संख्या जो स्थानीय पते पर तैनात हैं	सेवा कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशक्षण की प्रकृति जो क मुख्य कंपनी में दिया जाता है।	एजेंट द्वारा प्रयुक्त उपभोज्य/सुर्जों की सूची

बोली लगाने वाले की मुहर सहित हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण : जब नि वदाकर्ता न्यूनतम स्टाफ को स्थानीय पते पर तैनात करता है और मुख्य सेवा कसी दूसरे स्थान से देता है तब दोनों स्थानों का पता बहुत स्पष्ट दिया जाना चाहिए। बाहर से आने वाली ऐसी कॉल को सुनने के अपेक्षित समय का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। बोली लगाने वाले को इस संबंध में स्पष्ट रूप से इंगत करना होगा क कौन से मामलों में उपस्कर की सर्व संग हेतु वदेशी प्रमुख के पास भेजना आवश्यक है या वदेशी प्रमुख से सेवा कर्मक को सर्व संग के लिए बलाना बेहतर होगा।

वारंटी प्रमाणपत्र

हम वश्वास दिलाते हैं क हमारे द्वारा आपूर्ति की गई संपूर्ण सामग्री सभी प्रकार के निर्माण दोषों से मुक्त एवं बिल्कुल नई, उच्चतम गुणवत्ता तथा स्था पत मानकों के अनुसार होगी। आदेश दी गई सामग्री वनिर्देश, ड्राईंग या नमूनों के लए सामान्य रूप से स्वीकृत मानकों के अनुसार होगी। हमारे द्वारा दर्शाए गए ड्राईंग या नमूनों के साथ पूर्ण अनुपालन में होगी। हम इसके कुशल प्रचालन के लए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। यह वारंटी भुगतान के कसी भी निरीक्षण तथा सामान की स्वीकृति तक रहेगी ले कन सफलता पूर्ण स्था पत होने, पूर्णतः पूर्ण होने तथा एन.आई.एम.आर., नई दिल्ली की स्वीकृति के 36 महीने बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी।

इस वारंटी में दी गई सभी अनिवार्यताओं में, परिश्रम, पुर्जो, रखरखाव (निवाकर एवं अनिशिचत) एवं स्थल से निर्माता तक पहुंचाने का यातायात व्यय भी शा मल होंगे और इसके साथ ही यदि एनआईएमआर, दिल्ली द्वारा वक्रेता को पूर्व में दिए गए वनिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं हुआ या डजाइन, सामग्री या वर्क मेन शप में सामान्य एवं उ चत प्रयोग व रखरखाव के पश्चात् भी कोई खराबी पाई गई तो ऐसी स्थिति में निःशुल्क मरम्मत एवं रखरखाव या समायोजन भी शा मल होगा।

हम इस 36 महीने की निःशुल्क वस्तुत वारंटी की समाप्ति के उपरान्त 24 महीने की सं क्षप्त वारंटी भी स्वीकार करते हैं।

बोली लगाने वाले के
हस्ताक्षर और मुहर

नोट: यह फर्म/कम्पनी के पत्रशीर्ष पर प्रदान की जानी चाहिए।

बोली प्रतिभूति खयाना रा श जमा प्रपत्र

जैसा क 1 (जो क बाद में "बोलीदाता" कहलाएगा) ने दिनांक (बोली जमा करने की तारीख) को (नाम और माल का ववरण) की आपूर्ति हेतु अपनी बोली (जिसे आगे बोली कहा जाएगा) प्रस्तुत कर दी है।

जन साधारण को सूचित किया जाता है क हम (बैंक का नाम)(देश का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय (बैंक का पता) (जिसे बाद में बैंक कहा जाएगा) (क्रेता का नाम) (जिसे बाद में खरीददार/क्रेता कहा गया है) को धनराश रु. जिनके लए उचित भुगतान उक्त खरीददार को किया जाना है बैंक उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशी हेतु वचनबद्ध हैं।

उक्त बैंक की सामान्य मोहर द्वारा दिनांक माह 20.... को इसे मुहरबंद किया गया।

.....इस दायित्व की शर्तें इस प्रकार हैं :-

1. यदि बोलीदाता बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट की गई बोली वैधता अवध के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है। अथवा
 2. यदि बोलीदाता को बोली वैधता की अवध में खरीददार (क्रेता) अपनी बोली की स्वीकृति की सूचना दी गई है।
- (अ) यदि आवश्यकता पड़ने पर संवदा प्रपत्र को निष्पादित करने के लए मना करता है या असफल रहता है।
(ब) बोलीदाता के लए जारी निर्देशों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति को प्रस्तुत करने से मना करता है या असफल रहता है।

हम वचन देते हैं क प्रथम लखत मांग के प्राप्त होते ही उल्लेखित राश का वक्रेता को भुगतान कर दिया जाएगा और वक्रेता को अपनी मांग को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्तें अपनी मांग में वक्रेता यह लख ले क दावा की गई राश एक या दोनों स्थितियों के उत्पन्न होने के कारण देय है और स्थिति या स्थितियों का उल्लेख करें।

यह गारंटी बोली वैधता अवध के उपरान्त 45 दिन तक एवं 45वां दिन सहित लागू रहेगी और संबंधित मांग बैंक में इस अवध तक पहुंच जानी चाहिए।

.....
(बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर)

.....
.....

1. बोलीदाता का नाम

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जांच सूची

क्र.सं.	ववरण	अनुपालन हां/नहीं	पृष्ठ संख्या
1	क्या निवेदित दर भारतीय एजेंट/डीलर द्वारा दी गई है? क्या वदेशी प्रमुख का प्राधिकरण पत्र तकनीकी वाणज्यिक बोली में संलग्न है ?		
2	क्या कुल बिक्री का प्रमाण (बेलेस शीट) और पैन संख्या के साथ संलग्न है या नहीं ?		
3	द्विबोली प्रणाली के लिए क्या तकनीकी वाणज्यिक और मूल्य बोली अलग-अलग लफाफों में रखी गई हैं जिस पर क्रमशः तकनीकी वाणज्यिक बोली और मूल्य बोली वधवत रूप से दर्शाया गया हो।		
4	क्या निवदा संख्या नियत तारीख और खोलने की तारीख सभी लफाफों में लख दी गई है?		
5	यदि निवदा दस्तावेज को संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या निवदा दस्तावेज शुल्क निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पक्ष में डमांड ड्राफ्ट तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है या नहीं?		
6	बयाना राश - क्या आवश्यक ईएमडी तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दी गई है?		
7	यदि फर्म को बयाना राश के भुगतान से छुट दी गई है, (जैसे एनएसआईसी के साथ पंजीकृत फर्म डीजीएस एण्ड डी के तहत पंजीकृत) क्या एनएसआईसी वैध स्थायी सूचीयन प्रमाणपत्र या वैध डीजीएस एण्ड डी दर अनुबंध की प्रति लप तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न है या नहीं?		
8	यदि आप वदेशी प्रमुख के लिए एक भारतीय एजेंट/डीलर/वतरक हैं तो क्या आपने तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ प्राधिकरण एजेंसी प्रमाणपत्र संलग्न किया है या नहीं?		
9	क्या परि शष्ट 'बी' में तकनीकी अनुपालन ववरण तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है या नहीं?		
10	क्या परि शष्ट 'सी' में दिए गए प्रारूप में वचलन ववरण तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है या नहीं?		
11	क्या परि शष्ट 'डी' के अनुसार मूल्य बोली प्रस्तुत की गई है या नहीं?		
12	क्या बिक्री के समर्थन में वस्तुतः ववरण परि शष्ट 'ई' के प्रारूप के अनुसार दिया जाता है और तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है या नहीं?		
13	क्या वारंटी प्रमाणपत्र परि शष्ट 'एफ' के रूप में संलग्न है और तकनीकी वाणज्यिक बोली में संलग्न कर दिया गया है?		
14	क्या जांच सूची परि शष्ट 'एच' संलग्न है?		
15	क्या उपयोगकर्ताओं की सूची परि शष्ट 'आई' के अनुसार दी गई है और तकनीकी वाणज्यिक बोली के साथ संलग्न कर दिया गया है या नहीं?		
16	क्या परि शष्ट 'के' के अनुसार निर्माता द्वारा वचनबद्ध प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या नहीं?		
17	तकनीकी वाणज्यिक बोली में संस्थापन पूर्व आवश्यकताएं दी गई हैं या नहीं?		
18	क्या 3 वर्ष की व्यापक वारंटी अवध के पश्चात् उपकरणों के रखरखाव हेतु संबंधित उपभोज्यों एवं कल पुर्जों की दर सूची प्रदान की गई है (छूट का उल्लेख होना चाहिए)।		
19	क्या तकनीकी बोली/मूल्य बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर किए गए हैं?		

नि वदा से पूर्व 3 वर्ष की अव ध हेतु प्रयोक्ताओं की सूची (यदि संभव हो तो समान उपकरण)

क्रम संख्या	समान उपस्कर हेतु आदेश (खरीददार का संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन सहित पूरा पता)	क्रय आदेश संख्या एवं ति थ	ववरण, मॉडल एवं आदेश की गई मात्रा	प्रभारित मूल्य महत्वपूर्ण: (तकनीकी बोली में काली सूची में गई दरें। बोलीदाता की मूल्य बोली में प्रभारित मूल्य आदेश शा मल होने चाहिए	सं वदा अनुसार सपुर्दगी पूर्ण होने की ति थ एवं सं वदा अनुसार संस्थान/ कम शनिंग की तारीख	वतरण, संस्थापन एवं कम शनिंग में वलंब का कोई कारण यदि हो तो?

बोली लगाने वाले के मोहर सहित हस्ताक्षर

(100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर टाइप कया जाए)

निष्पादन बैंक गारंटी

बैंक गारंटी संख्या

गारंटी की रा श रू. दिनांक तक वैध

गारंटी संर क्षत सीमा से तक

निदेशक,

राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान

(भारतीय आयु र्वज्ञान अनुसंधान परिषद)

सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110077

यह गारंटी वलेख (बैंक का नाम) जो बैंक अ धनियम के तहत स्था पत की गई है जिसका कारपोरेट केन्द्र में हैं और जिसकी शाखा (जिसे बाद में बैंक कहा गया है) राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (जिसे बाद में लाभार्थी कहा गया है) के पक्ष में धनरा श रू. (शब्दों में) इससे अ धक नहीं के लए (फर्म का नाम) (बाद में सं वदाकार कहा जाएगा) के अनुरोध पर जारी की गई है क बैंक का दायित्व इस गारंटी के तहत अ धकतम रू. (शब्दों में) तक सी मत है और गारंटी दिनांक तक पूर्णतः प्रभावी रहेगी और ल खत मांग या दावे इस बैंक गारंटी के तहत बैंक द्वारा भुगतान दिनांक से पहले वापस नहीं ली जा सकती।

जैसा क आपने सं वदा संदर्भ संख्या पी.ओ. नम्बर दिनांकको (फर्म का नाम)के साथ(उपकरण का नाम) की आपूर्ति के लए सं वदा की है जो (बाद में 'अनुबंध' कहा गया है)। जैसा क (फर्म का नाम, फर्म ने बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु वचन दिया है क वह अनुबंध की कीमत का 10 प्रतिशत रा श रू. (रूपये) आपूर्ति कए जाने वाले उपकरण की वारंटी के लए आने दायित्वों को राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली आपके माध्यम से हमें यह घो षत करें क(फर्म का नाम ने संद र्भत अनुबंध के अधीन सं वदायी आश्वस्ति जो संद र्भत अनुबंध में वर्णत है का पालन नहीं कया है अथवा पालन करने में असमर्थ रहा है तो उसके भुगतान स्वरूप मैसर्स को रा श रू. (रूपये) का भुगतान बिना कसी शर्त अथवा बिना संदर्भ के करेगा। कसी अन्य अ धकार के अधीन अथवा ववाद की स्थिति में कोई व धक कार्यवाही अथवा बाद कसी भी प्रा धकृत सक्षम भारत की न्यायालय या ट्रिब्युनल में ववा चत अ धग्रहण के अन्तर्गत कोई लंबित प्रकरण आदि को अपवाद मानते हुए अन्य स्थितियां में आपके द्वारा मांग करना ही हमारे लए निश्चयात्मक प्रमाण माना जाएगा तथा भुगतान को भी व धक स्वरूप प्राप्त होगा जिसे हमें बिना शर्त मानना होगा और सभी परिप्रेक्ष्यों में हमें इस भुगतान को करने के लए बाध्य माना जाएगा।

आपके अर्थात फर्म (फर्म का नाम) के मध्य हुए कसी भी समझौते परिवर्तन अथवा दायित्व में कए गए कसी भी प्रकार के बदलाव जिसकी हमें जानकारी न हो या हमें सूचना नहीं दी गई हो, उस स्थिति में भी हम ऊपर वर्णत वचन बद्धता या गारंटी से मुक्त नहीं माने जाएंगे। यह शर्त उस स्थिति में भी प्रभावी होगी जब क भुगतान अथवा निष्पादन अव ध के संदर्भ में मांग की गई हो।

पुनः हम इस गारंटी के प्रति सहमति तथा वचन देते हैं क जब तक इस गारंटी का ल खत रूप में उन्मोचन न हो जाए तब तक यह प्रभावी बनी रहेगी।

यह गारन्टी दिनांक तक वैध रहेगी

असहमति अथवा ववाद को अपवाद स्वरूप मानते हुए अन्य सभी दशाओं में या गारंटी जारी रहेगी।

इस गारंटी के तहत हमारा दायित्व रु. (रूपये) तक ही सी मत है।

यह बैंक गारंटी तक वैध होगी।

हम आपको केवल तभी इस बैंक गारन्टी की रा श या इस बैंक गारंटी के तहत उसके कसी भाग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, अगर आप हम पर ल खत दावा या मांग करते हैं और हमारे द्वारा..... को या इससे पूर्व यह ल खत मांग प्राप्त कर ली जाती है उदाहरण के तौर पर इस बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख तक।

बैंक गारंटी को रद्द करने के प्रयोजन के लिए समाप्ति ति थ के बाद बैंक गारंटी हमें लौटा दी जानी चाहिए। चाहे मूल बैंक गारंटी हमें लौटाई नहीं गई हो, गारंटी के प्रति हमारी देयता समाप्त हो जाएगी।

दिनांक इस दिन है।

दिनांक:

स्थान :

(बैंक के प्रा धकारी के हस्ताक्षर)

साक्षी (हस्ताक्षर नाम व पता)

1.

2.

परि शष्ट 'के'
वचन

1. मैं अद्योहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित दस्तावेज में उल्लेखित नियम एवं शर्तों को अनुलग्नकों (परिशिष्टों) सहित पढ़ लिया है और मैं इनका अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मेरे/हमारे द्वारा उद्धृत करें मान्य हैं और निम्नलिखित के खुलने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक स्वीकृति हेतु मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी हैं।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत में स्थित किसी भी संगठन या अस्पताल के लिए उद्धृत करें सबसे कम दर पर उद्धृत की गई हैं।
3. मेरे/हमारे द्वारा रु. बयाना जमा राशि निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के पक्ष में जारी ड्रॉफ्ट बैंक चेक के रूप में निम्नलिखित के साथ संलग्न है तथा नियम व शर्तों के अनुसार निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की अभिरक्षा में रहेगा।
4. मैं/हम निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली को यह अधिकारी देते हैं कि यदि मेरे/एजेंट की ओर से वस्तु के निर्धारित स्थान पर होने में देरी होती है या वांछित निर्देशों का अभाव है तो ऐसी स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि को जब्त कर लिया जाए।
5. फर्म/आपूर्तिकर्ता के वरुद्ध सतर्कता सी.बी.आई. या अदालत में कोई विवाद लंबित नहीं है।
6. फर्म/कम्पनी को किसी भी संगठन द्वारा "काली सूची" में नहीं डाला गया है।
7. निरीक्षण करने पर आपूर्ति की गई वस्तु यदि आपूर्ति आदेश के अनुसार सही नहीं पाई गई है तो किसी भी असुविधा को रोकने के लिए मेरे/हमारे स्वयं के खर्च पर मैं/हमारे द्वारा इसे बदल दिया जाएगा।
8. मैं/हम एतद् द्वारा निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्ति आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए वचन देते हैं।
9. मैं/हम वचन देते हैं कि यदि 3 कार्य दिवस से अधिक समय तक उपकरण कार्य करने में अक्षम रहता या खराब रहता है तो वारंटी/एएमसी/सीएमसी की अवधि को दुगुने समय तक विस्तारित कर दिया जाएगा। कुल ब्रेक डाउन अवधि के दौरान स्टैंडबाई की व्यवस्था बनी रहेगी। इसके अलावा संस्थान को ईकाई सौंपने के बाद कम से कम 10 साल के लिए उपकरण के अनुकूल उपयोग और सभी पुर्जों की आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध हैं।
10. मैं/हम निर्देशों (वशिष्टताओं) में उल्लेखित निर्देशानुसार संतोषजनक संस्थापन और निरीक्षण की तारीख से 10 वर्षों के लिए वारंटी/वारंटी/एएमसी/सीएमसी प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। मैं/हम भी वचन देता हूँ कि इस अवधि के दौरान उपकरणों के रखरखाव में तथा यदि आवश्यक हुआ तो खराब पुर्जों के स्थान पर नए पुर्जे निःशुल्क लगा दिए जाएंगे।
11. मुझे/हमें पता है कि निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को यह अधिकार है कि वह किसी भी निम्नलिखित को स्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निम्नलिखितों को अस्वीकार कर सकते हैं।

निम्नलिखित के हस्ताक्षर
नाम व पता खबर मोहर सहित

नोट :- यदि भारत में प्रमुख कम्पनियों का विपणन कार्यालय नहीं है तो आयातित उत्पादों के मामले में प्राथमिक वितरक द्वारा (वचन) प्रस्तुत किया जा सकता है।